सूचना का अधिकार

डॉ. बसन्ती लाल बाबेल
पूर्व न्यायाधीश एवं शासन उप सचिव, गृह (विधि)

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है । इसके अन्तर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। प्रेस विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है । इससे ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अधिकार है-सूचना का अधिकार । शासन , प्रशासन एवं सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बनाये रखने का यह एक सक्षम उपकरण है । **"पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिवर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया" (ए.आई.आर. 2004 एस.सी.1442)** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंग माना है । **" प्रभुदत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया" (ए.आई.आर.1982 एस.सी.6)** के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है प्रेस को बंदियों एवं कैदियों से साक्षात्कार करने तथा उनसे सूचनायें प्राप्त करने का अधिकार है । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसी अधिकार की परिणति है । यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया । इस अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि से राजस्थान , मध्यप्रदेश , तमिलनाडु, महाराष्ट्र , गोवा, दिल्ली, असम आदि राज्यों द्वारा पारित सूचना के अधिकार अधिनियम निष्प्रभावी हो गये हैं ।

सूचना की परिभाषा

अधिनियम की धारा 2 (च) में शब्द " सूचना" को परिभाषित किया गया है । इसके अनुसार "सूचना से किसी रूप में कोई ऐसी सामग्री जिसके अन्तर्गत किसी इलेक्ट्रानिक रूप में पारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस, विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आकड़ों सम्बन्धी सामग्री और किसी प्राईवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सिम्मिलित है, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक अधिकारी की पहुंच हो सकती है , अभिप्रेत है । "

सूचना की यह परिभाषा अत्यन्त व्यापक है । इसमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ , चाहे वे किसी भी रूप में हों , समाविष्ट हो गई हैं ।

सूचना का अधिकार

अधिनियम की धारा 3 में देश के सभी नागरिकोंको सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। धारा 2 (ञ) में इस अधिकार की परिभाषा दी गई है । सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निम्नांकित बातों को सम्मिलित किया गया है-

(क) कृतियों, दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार,
(ख) दस्तावेजों, अभिलेखों आदि के टिपण, उद्धरण या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार,
(ग) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार , तथा
(घ) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट, कम्पयूटर आदि के रूप में भण्डारित सूचनाओं को अभिप्राप्त करने का अधिकार ।

इस प्रकार सूचना के अधिकार में दस्तावेजों , अभिलेखों , कृतियों आदि का निरीक्षण करने, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने तथा उनके बारे में सूचनायें प्राप्त करने के अधिकार को सम्मिलित किया गया है ।

_सूचना प्राप्त करने की रीति

अधिनियम की धारा 6 में सूचना प्राप्त करने की रीति अर्थात प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है । इसके अनुसार सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । आवेदन पत्र हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय राजभाषा में हो सकेगा । ऐसा आवेदन पत्र निम्नांकित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा-

(क) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
(ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी
(ग) केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, अथवा
(घ) राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ।

आवेदन पत्र में वांछित सूचना की विशिष्टियों का उल्लेख किया जायेगा तथा निर्धारित शुल्क देय होगा । यदि कोई आवेदन ऐसे किसी लोक अधिकारी को किया जाता है जो वांछित सूचना नहीं रखता है, वहाँ ऐसा आवेदन पत्र उस लोक अधिकारी को अन्तरित कर दिया जायेगा जो ऐसी सूचना रखता है । ऐसा अन्तरण पांच दिन के भीतर कर दिया जायेगा तथा आवेदक को इस आशय की सूचना दी जायेगी ।

सूचना के लिए समय सीमा

अधिनियम की धारा 7 में उस समय सीमा के बारे में प्रावधान किया गया है जिसमें लोक अधिकारी द्वारा वांछित सूचना आवेदक को दी जानी होगी । लोक अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर वांछित सूचना आवेदक को देनी होगी । यदि सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना आवेदन पत्र प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर देनी होगी ।

यदि लोक अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना नहीं दी जाती है तो यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है ।

पुस्तकालय
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की

शास्ति

अधिनियम की धारा 20 में शास्ति के बारे में प्रावधान किया गया है । इसके अनुसार सक्षम सूचना अधिकारी द्वारा- (क) बिना किसी युक्तियुक्त कारण के कोई आवेदन पत्र लेने से इन्कार कर दिया जाता है , या

(ख) निर्धारित अवधि में वांछित सूचना नहीं दी जाती है , या

(ग) असदभावनापूर्वक कोई सूचना देने से इन्कार कर दिया जाता है, या

(घ) जानबूझकर गलत, भ्रामक या अपूर्ण सूचना दी जाती है , या

(ड) वांछित सूचना को नष्ट कर दिया जाता है , या

(च) सूचना देने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है,

तो ऐसे लोक अधिकारी को प्रत्येक दिन के लिए, जब तक वांछित सूचना नहीं दे दी जाती , 250/- रूपये की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा, लेकिन ऐसी शास्ति 25000/- रूपये से अधिक नहीं हो सकेगी । शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा ।

अपील

अधिनियम की धारा 19 अपील के संबंध में है । ऐसी अपील दो प्रकार की हो सकेगी-प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील। जहाँ आवेदक को निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना प्राप्त नहीं होती हे अथवा वह प्राप्त सूचना से व्यथित है, वहाँ वह उसके विरूद्ध 30 दिन के भीतर ऐसे लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ पक्ति के अधिकारी को प्रथम अपील कर सकेगा । द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग को की जा सकेगी । अपील के निपटारे के लिए न्यूनतम 30 दिन एवं अधिकतम 45 दिन की अवधि निर्धारित की गई है ।

सूचनाएं जो प्राप्त नहीं की जा सकती-

अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इसमें उन सूचनाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता अर्थात जिन्हें देने के लिए लोक सूचना अधिकारी को बाध्य नहीं किया जा सकता । ऐसी सूचनायें निम्नलिखित हैं, जिनसे -

(क) भारत की प्रभुता और अखण्डता , राज्य की सुरक्षा, आर्थिक हित आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,

(ख) किसी अपराध का उद्धीपन होता हो,

(ग) किसी न्यायालय का अवमान होता हो,

(घ) संसद या राज्य विधान मण्डल के विशेषाधिकार भंग होते हो,

(ड.) किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान कारित होता हो,

(च) व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को संकट उत्पन्न होता हो,

(छ) अन्वेषण, अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होता हो , आदि ।

सूचना का अधिकार अधिनियम निःसन्देह लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है । आवश्यकता इसके निष्पक्ष भाव से क्रियान्वयन की है ।

****